

न्यायालय परगनाधिकारी चांदपुर

T1015134602377

वाद सं0..... १३ / १५

मौजा-फैजीपुर कस्बा

नवास खों जमीर मैमोरियल ए०स००चान्दपुर

हारा प्रबन्धक शोरवाणि खान

वलाम

धारा 143 ज० वि० अधि०

परगना - चान्दपुर

सरकार

9

~~निर्णय~~ १५-१८) 5-2-15

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रबन्धक शेरबाज खान पुत्र श्री निसार खान मौ। चाहसंग कस्बा चान्दपुर परगना व तहसील चांदपुर जिला विजनौर के प्राईना पत्र एवं तहसीलदार चांदपुर की आख्या अन्तर्गत धारा 143 जाधि 3 अधि के आधार पर प्राप्त है।

तहसीलदार चांदपुर के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 30.01.15 में उल्लेख किया गया है। कि ग्राम फैजीपुर कस्बा पर 80 चान्दपुर तहसील चांदपुर जिला विजनौर के खाता सं 94 गाटा सं 133 धो 1.5340 है 0 के 1/2 भाग धो 0.7670 है, ल 0 24.60रु 0 व खाता सं 97 के गारा 134/2 धो 0.5980 है मे से 0.2550 है, ल 0 9.60रु 0 पर मोके पर उक्त भूमि पर कृषि कार्य बागवानी, पशुपालन, गतास्थ पालन, कुकुट पालन, सुआर पालन का कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है।

अतः ग्राम फैंजीपुर कस्बा परगना व तहसील चांदपुर जिला विजनौर का फैंजीपुर कस्बा पर 0 चान्दपुर तहसील चांदपुर जिला विजनौर के खाता स0 94 गाटा स0 133 क्षे0 1.5340 है0 के $1/2$ भाग क्षे0 0.7670 है, ल0 24.60रु0 व खाता स0 97 के गा0स0 134/2 क्षे0 0.5980 है मे से 0.2550 है, ल0 9.60रु0 को अकृषिक घोषित किये जाने की संतुति की गयी है।

वादी की ओर से नकल फर्द खतोनी व सी0एच0 45 एवं बैनामे की छाया प्रति दाखिल किये गये। नामीका वकील व अन्य किसी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कि गयी।

वादी के विद्वान् अधिकारी का कथन है कि कि ग्राम फैजीपुर करबा पर ० यान्दमुर तहसील चांदपुर जिला विजनौर के खाता सो १३४ गाटा सो १३३ क्षे० १.५३४० है० के $1/2$ भाग क्षे० ०.७६७० है, ल० २४.६०८० व खाता सो ११७ के गा०सो १३४/२ क्षे० ०.५९८० है मे से ०.२५५० है, ल० ९.६०८० पर मोके पर उक्त भूमि पर कृषि कार्य वागवानी, पशुपालन, मतस्थ पालन, कुकुट पालन, सुअर पालन का कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है। अतः फैजीपुर करबा पर ० व तहसील चांदपुर जिला विजनौर के खाता सो १३४ गाटा सो १३३ क्षे० १.५३४० है० के $1/2$ भाग क्षे० ०.७६७० है, ल० २४.६०८० व खाता सो ११७ के गा०सो १३४/२ क्षे० ०.५९८० है मे से ०.२५५० है, ल० ९.६०८० को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

मैंने पत्रावली का भलि-माति अवलोकन किया एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के आधार पर तहसीलदार चान्दपुर की आख्या दिनांक 30.01.15 स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार चांदपुर की आख्या दिनांक 30.01.15 स्थीकार की जाती है। अतः ग्राम फैजीपुर कस्बा परगना व तहसील चांदपुर जिला विजनौर के खाता स0 94 गाटा स0 133 क्षे0 1.5340 है0 के 1/2 भाग क्षे0 0.7670है, ल0 24.60रु0 व खाता स0 97 के गा0स0 134/2 क्षे0 0.5980है मे से 0.2560है, ल0 9.60रु0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। तदानुसार अमल दरामद दर्ज कागजात हो। आदेश की प्रति तहसीलदार एवं उपनिवन्धक चांदपुर को अनुपालानार्थ भेजी जावे। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

दिनांक

राकेश कुमार
परगनाधिकारी चांदपुर

उक्त आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उदधोषित किया गया।

दिनांक

